Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.5442, Volume 08, No. 02, April, 2018, pp. 429-434

# सूक्ष्म ऋण वितरण में सहकारी समितियों का योगदान (जयपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

अर्चना चौधरी*
डॉ0 रविन्द्र दुलार**

## परिचय

ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ सहकारी साख व्यवस्था में ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ नींव के रूप में कार्य करती है। सम्पूर्ण सहकारी साख ढ़ांचा इनके उपर खड़ा है तथा पैक्स नींव के पत्थर के समान मजबूत आधार प्रदान करती है। वस्तुतः ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ नीचे के स्तर की संस्थाएँ हैं, जिनकी स्थापना ग्रामीण स्तर पर की गई है। ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ सदस्यों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है और सदस्यों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करती है। ये संस्थाएँ केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करती हैं और सदस्यों को उनका वितरण करती है। यह समितियाँ खाद, बीज, एवं लघु कृषि उपकरणों की खरीद हेतु फसली ऋण प्रदान करती हैं, जो अल्पकालीन होते है। सहकारी समितियाँ सरकार द्वारा संरक्षित विकास योजनाएँ जैसे–ग्रामीण स्वरोज़गार, डेयरी विकास, चयनित अन्त्योदय परिवारों को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध करवाये जाते हैं, जो कि सामान्यतया मध्यमकालीन प्रवृत्ति के होते है और ये उपभोक्ता ऋण समितियों द्वारा सामान्यतया अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा ही दिये जाते हैं। समितियाँ साख सुविधाओं के साथ–साथ मिनी बैंक के रूप में बैंकिंग सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाती है। मिनी बैंक के रूप में ये समिति बैंकिंग से सम्बन्धित सभी कार्यों का सम्पादित करती है। मार्च 31, 2017 को राजस्थान राज्य में समग्र रूप से 6411 सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ कार्यरत है।

## अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जयपुर क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी साख समितियों की स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त इस शोध पत्र के निम्न उद्देश्य हैं:–

- ग्राम सेवा साख समितियों द्वारा प्रदत्त कृषि ऋण का कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना।
- कृषि व ग्रामीण विकास में सहकारी साख समितियों के योगदान को स्पष्ट करना।
- कृषि वित्त के लिए उपलब्ध साख स्त्रोतों का अध्ययन करना।

## परिकल्पानाऐं

शोध पत्र में शून्य परिकल्पना व वैकल्पिक परिकल्पना का प्रयोग किया गया है :–

- ग्राम सेवा सहकारी समितियां प्रदत्त सेवाओं में सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही है।
- ग्राम सेवा सहकारी समितियां प्रदत्त सेवाओं में सकारात्मक भूमिका निभा रही है।
- ग्राम सेवा सहकारी समितियां पर्याप्त मात्रा में कृषि वित्त की पूर्ति नहीं कर रही है।
- ग्राम सेवा सहकारी समितियां पर्याप्त मात्रा में कृषि वित्त की पूर्ति कर रही है।

* शोध छात्रा, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** व्याख्याता, आर.एल. सहरिया राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान।

**ग्राम सेवा सहकारी समितियों का उद्‌भव एवं विकास**

भारत में सहकारी साख आंदोलन का प्रारम्भ कृषि साख समितियों से हुआ जिन्हें कालांतर में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित साधन वाले व्यक्तियों को कृषि ऋण के माध्यम से सहायता पहुँचाना था। राज्य में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ तत्पश्चात् बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1951 में गठित की जिसने अपनी प्रतिवेदन 1954 में प्रस्तुत किया। इसमें देश के वृहदाकार सहकारी समितियों के गठन की सिफारिश की थी। सेवा सहकारी समितियों के युग का सूत्रपात मई, 1960 में श्री बी.एसल मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ। पुनर्गठित सहकारी समितियाँ कार्य दृष्टि से बहुउद्देश्यीय मानी गई। इसी क्रम में जनजाति क्षेत्रों में लैम्पस का गठन किया। सहकारी संस्था अथवा समिति से तात्पर्य सहकारी संस्था अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत मानी गई संस्था से है, परन्तु जो सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्र में अपने सदस्यों को एक साथ अनेक प्रकार की सेवाएँ प्रदन करती हैं, उसे प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति कहते है। इस प्रकार की समिति को ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से जाना जाता है। 'सेवा सहकारिता' कोई नया शब्द नहीं है। यह 'बहुउद्देश्यीय समिति' शब्द का पर्यायवायी है। इन समितियों को अनेक नामों से जाना जाता है जैसे– प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति, बड़े आकार की समितियाँ जिन्हें वृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ कहते हैं, कृषक सेवा सहकारी समितियाँ तथा 'मिनी बैंक' आदि। आदिवासी क्षेत्र में ये समितियाँ वृहदाकार कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति के नाम से जानी जाती है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों से यह अपेक्षा एवं आशा की जाती है कि वह कृषि उत्पादन में वृद्धि की समस्त आवश्यक आपूर्तियाँ और सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए ग्राम स्तर पर आर्थिक विकास की पूर्ण जिम्मेदारी संभालेगी। वह एक बैंक, एक भंडार, एक आपूर्ति, विपणन संगठन और एक कृषि विकास अभिकरणे के रूप में कार्य करेगी। साथ ही कृषकों तथा दस्तकारों की उत्पादकता और उपभोक्ता दोनों ही रूप में आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, इन समितियों के नाम कुछ भी हो लेकिन सबके लक्ष्य एवं उद्देश्य या भूमिका एक ही होगी।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्षेत्र में कृषकों, कमजोर वर्ग के सदस्यों, लघु एवं सीमान्त कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों एवं कृषि श्रमिकों में बचत की भावना पैदा करना और उनकी सहायता एवं आर्थिक उन्नति, उन्हें सघन ऋण एवं अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराकर एवं नियोजन, उत्पादन एवं आय में अभिवृद्धि की सुविधा देकर उपभोक्ता सामग्री के वितरण की व्यवस्था करना। मोटे तौर पर समिति का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को वांछित सेवाएँ उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक तथा सामाजिक विकास करना है। संस्था के वित्तीय साधन जुटाना ताकि अपेक्षित सेवा कार्य किया जा सकें।

पैक्स का नाम से प्रसिद्ध इन सहकारी समितियों का पूरा नाम है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है। यह सहकारी संस्था किसानों के हित हो पूरा करने के लिए किसानों द्वारा स्वैच्छिक रूप से गठित एक सहकारी संस्था है। वर्तमान में उनका पंजीयन राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 के तहत किया जाता है। स्वरूप के बदलने के फलस्वरूप यह किसानों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।

**ग्राम सेवा साख समितियों का गठन**

ग्राम सेवा साख समितियों के लिये निर्धारित क्षेत्र (एक पंचायत) में रहने वाले हर परिवार का एक व्यक्ति इसका सदस्य होता है। ये सदस्य ही मतदाता होते हैं और प्रबंधकारिणी समिति के एक अध्यक्ष एवं 11 सदस्यों का चुनाव करते है। सदस्य बनने के लिए बतौर सदस्यता शुल्क ग्यारह रुपये देना होता है। इसके साथ हर सदस्य को कम से कम एक अंश खरीदना है। एक अंश की कीमत 100 होती है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और महिलाओं की सदस्यता शुल्क सरकार जमा कराती है। उनके लिये अंश खरीदने की व्यवस्था भी सरकार को करनी होती है। इस प्रकार उन लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने में कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ती है।

## जयपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना व विकास

जयपुर में सहकारिता का शुभारम्भ अन्य क्षेत्रों से काफी बाद में शुरू हुआ क्योंकि जयपुर रियासत में प्ररम्भ सहकारी अधिनियम 1943 बना था। अतः स्वभाविक रूप से सहकारिता का विधिवत शुभारम्भ इस कानून के बाद से संभव हो पाया। इस अधिनियम के नियम 1944 में पारित हुए। तत्पश्चात् सहकारिता का विधिवत श्रीगणेश 1944 एवं उसके पश्चात ही शुरू हो पाया। सहकारिता आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों की पूर्ति के लिए ''न लाभ न हानि'' के सिद्धान्त पर कार्य करने के लिए बनाया जाता है। मानव आदिकाल से सहयोग एवं आपसी सहयोग पर निर्भर रहता आया है। ''एक सबके लिए एवं सब एक के लिए'' सहकारिता का आदर्श है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक विभिन्न समितियों का गठन एवं पंजीयन तो हुआ लेकिन धरातल पर कोई महत्वूपर्ण विकास सहकारिता के उन्नयन के दृष्टिकोंण से नहीं हुआ है बल्कि योजनाबद्ध विकास के प्रारंभ होने तक भी सहकारी आन्दोलन ने कोई गति नहीं पकड़ी। सही अर्थों में इस अवधि तक इसका परिमाणात्मक एवं संख्यात्मक विकास ही संभव हुआ।

योजनाकाल में सहकारिता का चहुँमुखी विकास हुआ। सहकारी समितियाँ ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। जयपुर शहर में उपभोक्ता सहकारिता के माध्यम से नागरिकों को शुद्ध एवं सही मूल्य पर घरेलू उपभोग सामग्री उपलब्ध होने लगी। जयपुर शहर में वित्त उपलब्ध करवाने के लिए शहरी सहकारी बैंक स्थापित हुए। गरीब एवं निर्धन लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी गृह निर्माण समितियाँ की स्थापना हुई। वर्ष 2006–07 ये जयपुर में कुल 2,984 सहकारी समितियों थी जो सम्पूर्ण राजस्थान का 11.18 प्रतिशत थी। इनकी सदस्यता 10,84,646 थी जो राजस्थान राज्य का 11.24 प्रतिशत है।

सहकारी साख व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए यहाँ पर 31 मार्च 2017 को 307 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ कार्यरत थी तथा इसके साथ ही केन्द्रीय सहकारी बैंक आपनी 26 शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन एवं मध्यम कालीन वित्त आपूर्ति कर रही थी।

वर्तमान में सहकारी समितियों का प्रबन्धन ठीक नहीं होने की वजह से अपने उद्देश्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पाती है। सहकारी समितियाँ सहकारिता के निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करना चाहती है, लेकिन राजनैतिक इच्छा शक्ति, अफसरशाही एवं नौकरशाही आदि के हावी होने से ये न तो सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य कर पाती है, न ही सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति करने की स्थिति में है। सहकारी समिति में गबन घोटालों के समाचार आये दिन हम समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिलते है।

यह समय की मांग थी कि परिवर्तित परिस्थितियों से लोकतांत्रिक प्रबन्ध व्यवस्था के साथ–साथ पेशेवर प्रबन्धकों की सेवाएँ लेकर अपने आप को समर्थ बनाये ताकि सहकारी संस्थाऐं परिस्थितिजन्य वातावरण में ढल सके। आज सहकारी बैंकों में चार्टड अकाउटेन्ट, विपणन समितियाँ में विपणन विशेषज्ञों की सेवाएँ लेनी प्रारम्भ कर दी हैं। सहकारी समितियों के प्रति अपनत्व की भावना एवं कुशल तथा उत्तरदायी प्रबन्धन के द्वारा निश्चित रूप से ये अपने विकास एवं विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी। वस्तुतः वर्तमान में सहकारी समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि न लाभ न हानि के सिद्धान्त पर कार्य करते हुए सदस्यों के हितों को सर्वोपरी समझें एवं दूसरी ओर उदारीकरण के दौर में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का भी दृढ़ता एवं कुशलता से सामना करें। जयपुर जिले में कार्यरत समितियों ने अपने आप को परिस्थितियों अनुसार ढ़ाल लिया है तथा अधिकांश संस्थाएँ कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

## जयपुर जिले में सहकारी साख संस्थाओं का ढ़ांचा

वर्तमान में जिले में दो प्रकार की सहकारी साख संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण एवं साख सुविधाएँ उपलब्ध करवाती है। प्रथम अल्पकालीन व मध्यमकालीन ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जाते है। दूसरा दीर्धकालीन ऋण भूमि विकास बैकों द्वारा प्रदान किया जाता हैं। दोनों प्रकार की संस्थाओं का संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है।

- **ग्राम सेवा सहकारी समितियाँः–** सहकारी साख व्यवस्था में ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ नींव के पत्थर के रूप में कार्य करती हैं। सम्पूर्ण सहकारी साख ढ़ांचा इनके उपर खड़ा है तथा पैक्स नींव के पत्थर के समान मजबूत आधार प्रदान करती है। वस्तुतः ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ नीचे के स्तर की संस्थाएँ हैं, जिनकी स्थापना ग्रामीण स्तर पर की गई है। ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ सदस्यों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है और सदस्यों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करती है। ये संस्थाएँ केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करती हैं और सदस्यों को उनका वितरण करती है। यह समितियाँ खाद, बीज, एवं लघु कृषि उपकरणों की खरीद हेतु फसली ऋण प्रदान करती हैं, जो अल्पकालीन होते है। सहकारी समितियाँ सरकार द्वारा संरक्षित विकास योजनाएँ जैसे– ग्रामीण स्वरोज़गार, डेयरी विकास, चयनित अन्त्योदय परिवारों को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध करवाये जाते हैं, जो कि सामान्यतया मध्यमकालीन प्रवृत्ति के होते है और ये उपभोक्ता ऋण समितियों द्वारा सामान्यतया अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा ही दिये जाते हैं। समितियाँ साख सुविधाओं के साथ–साथ मिनी बैंक के रूप में बैंकिंग सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाती है। मिनी बैंक के रूप में ये समिति बैंकिंग से सम्बन्धित सभी कार्यों का सम्पादित करती है। मार्च 31, 2017 को राजस्थान राज्य में समग्र रूप से 6411 सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ कार्यरत है।
- **राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकः–** दीर्घकालीन सहकारी साख को गति प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों की स्थापना राज्य स्तर पर 26 मार्च, 1957 में की गई हैं, जो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करती हैं व उन पर नियन्त्रण रखती है। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करती है बल्कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करते है। राजस्थान में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं इनकी 133 शाखाएँ कार्यरत है।

**चार्ट 1 : ग्रामीण वित्त के स्रोत**

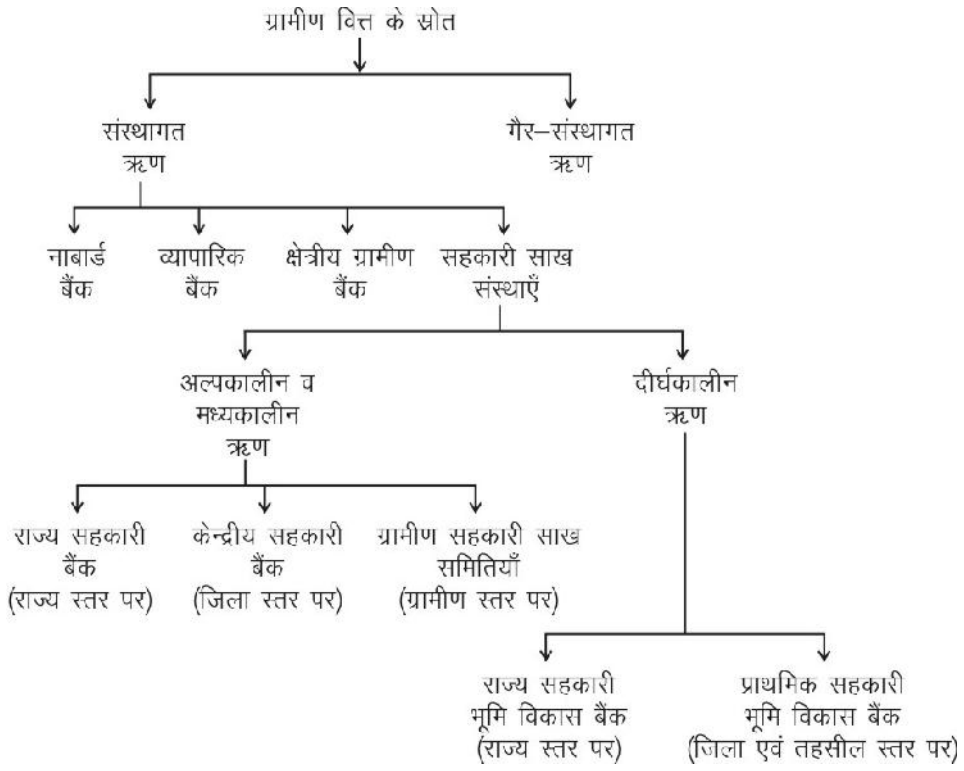

व्यक्तिगत सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि अभी भी ग्रामीण लोग विशेषकर कृषक वर्ग वित्तीय आवश्यकता के लिए निजी साख स्रोतों पर निर्भर करते हैं क्योंकि बैंकिंग एवं सहकारी संस्थाएँ कृषकों को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाने में पूर्णरूपेण सफल नहीं हो पायी है। फलतः कुल आवश्यकता का 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत ऋण निजी स्रोतों से लेने के लिए विवश है। निजी ऋण आपूर्तिकर्त्ताओं की ऋण प्रक्रिया तो आसान होती है लेकिन ब्याज दर 18 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक होती है। इतनी भारी भरकम ब्याज राशि निश्चित रूप से कष्टदायक होती है, मगर इनसे ऋण लेना किसानों की मजबूरी है। प्रायः यह देखने को मिलता है कि ये साहूकार बिना जमानत के ऋण नहीं देते हैं। ये गहने या चल सम्पत्ति को गिरवी रखकर ऋण प्रदान करते हैं और ऋणी द्वारा अगर थोड़ी सी ही ऋण भुगतान में देरी या चूक हो जाती हैं तो गिरवी रखी वस्तु को जब्त कर लेते हैं। इसका प्रमुख कारण यह हैं कि ये गिरवी रखी वस्तु के 50 से 75 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं देते है। महाजन या साहूकार ऋण के उद्देश्यों को कोई महत्व नहीं देते हैं। इनके द्वारा दिये जाने वाले ज्यादातर ऋण अनुत्पादक हेते है और ब्याज दर भी अधिक होती हैं, जिससे एक बार इनके चुंगल में फसने के बाद ऋणग्रसता से मुक्त होना मुश्किल हो जाता है और यह ऋणग्रस्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। संस्थागत साख स्रोतों की स्पष्ट कार्य योजनाओं एवं कृषक हितैषी सरकारोंकी सकरात्मक नीतियों की वजह से निश्चित रूप संस्थागत साख स्रोतों की भूमिका में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।

**तालिका 1: जयपुर जिले में बैंकिंग संस्थाओं की स्थिति** (मार्च 31, 2017)

| क्र.सं. | बैंक श्रेणी | बैंक की संख्या | बैंक शाखाओं की संख्या | शाखाओं की श्रेणी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ग्रामीण | अर्द्ध शहरी | शहरी |
| 1. | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | 27 | 731 | 119 | 95 | 517 |
| 2. | निजी क्षेत्र के बैंक | 17 | 196 | 22 | 28 | 146 |
| 3. | ग्रामीण बैंक | 01 | 112 | 85 | 14 | 13 |
| 4. | सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक | 02 | 31 | 09 | 14 | 08 |
| 5. | विदेशी बैंक | 03 | 03 | 00 | 00 | 03 |
| 6. | राजस्थान वित्त निगम | 01 | 04 | 00 | 00 | 04 |
| 7. | सहकारी साख समितियां | 2984 | 2984 | 00 | 00 | 00 |

उपर्युक्त तालिका जयपुर जिलों में बैंकिंग संस्थाओं की स्थिति दर्शा रही है। तालिका से स्पष्ट है कि बैंक एक अच्छी कार्ययोजना के अन्तर्गत कार्य कर रही है। वर्तमान सर्वाधिक 27 व्यापारिक बैंक अपनी 731 शाखाओं के माध्यम से साख वितरण का कार्य कर रही है। यद्यपि व्यापारिक बैंकों की मात्र 29.28 प्रतिशत शाखाएँ ही ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है फिर भी संख्या के हिसाब एवं ऋण वितरण की स्थिति में यह बैंक अग्रणी भूमिका निभा रही है।

तालिका आगे बता रही है कि एक ग्रामीण बैंक राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक अपनी 112 शाखाओं के साथ जिले में कार्यरत हे। यह सुखद स्थिति रही कि ग्रामीण बैंक की 90 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं यही स्थिति अन्य सहकारी बैंकों की है। जयपुर जिले में दो सहकारी बैंक अपनी 31 शाखाओं के माध्यम से कृषि कार्य में सलंग्न है।

तालिका आगे संकेत दे रही है कि जयपुर जिले में 17 निजी क्षेत्र के बैंक अपनी 196 शाखाओं के साथ कार्यरत है। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र शहरों तक सीमित है लेकिन लगभग 25 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके अलावा विदेशी बैंक एवं राजस्थान वित्त निगम भी कार्यरत है लेकिन ग्रामीण साख व्यवस्था में इनका नगण्य योगदान है।

## निष्कर्ष

**निष्कर्षतः** यह कहा जा सकता है कि जयपुर जिले में बैंकिंग संस्थाओं की अच्छी स्थिति है तथा ग्रामीण साख में इनका निकट का रिश्ता है। जयपुर जिले में कृषि सहकारी साख समितियां, उपभोक्ता सहकारी भण्डार, क्रय–विक्रय सहकारी समितियों एवं गृह निर्माण सहकारी समितियां एक सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित तरीके से अपनी सेवाएँ प्रदत्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन संस्थाओं ने आर्थिक उदारीकरण का मजबूती से सामना करते हुए अपनी कार्यकुलशता में आशातीत सुधार किया। यही कारण है कि अधिकांश सहकारी साख संस्थाएँ वर्तमान में लाभ अर्जित कर रही। चंद बची हुई संस्थाएँ अपने क्रियाकलापों में तेजी से सुधार करके लाभ अर्जित करने की श्रेणी में शीघ्र ही आ जायेगी ऐसी प्रबल संभावनाएँ है। कृषि साख समितियां ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साख समितियों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले ऋणों से कृषकों को आर्थिक व सामाजिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं जो कृषि विकास में व राष्ट्र विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

## स्त्रोत्


- द राजस्थान स्टेट कॉआपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, 1943.
- राजस्थान सरकार (आर्थिक एवं संख्यायिकी निदेशालय), ''जिला सांख्यिकी रूपरेखा–2008'', 2012, पृ.2.
- सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, द्वारा प्राप्त सूचनाएँ।
- राजस्थान सरकार (सहकारिता विभाग), सहकारी सफलता के सोपान'', 2015, पृ. 3.
- केन्द्रीय सहकारी बैंक जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन।
- सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा जारी विभिन्न प्रचार पुस्तिकायें।
- यूकों बैंक, वार्षिक साख योजना जिला, जयपुर, 2017–18, पृ.13.


♦❐♦